मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–164

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के द्वितीय चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन

बाहरी राजनैतिक कार्यकर्ता की चुनाव प्रचार अवधि समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी

द्वितीय चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान

दिनांक 23 अप्रैल, 2024 लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, समावेशी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समयावधि के समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में राजनैतिक दलों और उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किये जाने वाले चुनाव प्रचार संबंधी सम्पूर्ण गतिविधियॉ समाप्त हो जायेगी। इस अवधि में निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियॉ संचालित नहीं होगी। सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में द्वितीय चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है। इसके लिए मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात कल दिनांक 24 अप्रैल, 2024 को सायं 06 बजे के बाद से इन 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में राजनैतिक दलों व उनके प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति के

बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनैतिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें और इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के ध्यान में लाना सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगा दी है, जबकि पीठासीन अधिकारी अपने फोन साइलेंट मोड में ले जा सकेंगे और आवश्यकता पड़ने व आपात स्थिति में केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ संचार के लिए उपयोग कर सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में द्वितीय चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल, 2024 को मतदान होना है, उसमें 9–अमरोहा, 10–मेरठ, 11–बागपत, 12–गाजियाबाद, 13–गौतमबुद्ध नगर, 14–बुलन्दशहर (अ0जा0), 15–अलीगढ़, 17–मथुरा लोकसभा क्षेत्र आते हैं। द्वितीय चरण की ये सभी 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा जनपद में आते हैं। द्वितीय चरण की इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 91 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

———————————